

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5078/2018

श्रीमती वंदना पत्नी बजरंग सिंह पुत्री कल्याण सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम
व पोस्ट काली पहाड़ी, वाया इस्लामपुर, जिला झुंझुनू (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,
सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- जिला कलक्टर, जिला झुंझुनू।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
- उप. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
- ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री इंतजार अली, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए : श्री भरत सैनी, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता।

माननीय श्री जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आरक्षित तिथि : 29/01/2024

घोषित तिथि : 12/02/2024

आदेश

रिपोर्ट योग्य

- इस मामले में मुद्दा यह है कि क्या सरकार द्वारा आम लोगों से किया गया
वादाखिलाफी, "वैध अपेक्षा" और "वचनबद्ध रोक" के सिद्धांत का उल्लंघन है?

2. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है:-

“(i) इस प्रकार का एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, प्रतिवादियों को कृपया याचिकाकर्ता को ज्योति कार्ड जारी करने और याचिकाकर्ता को ‘ज्योति योजना’ के तहत स्वीकार्य लाभ बढ़ाने और याचिकाकर्ता द्वारा माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक और जीएनएम कोर्स में उसकी शैक्षणिक शिक्षा पर किए गए शुल्क और अन्य खर्चों को वापस करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

(ii) कोई अन्य आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय न्यायसंगत और उचित समझे, कृपया मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागत सहित पारित किया जाए।

3. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने सरकारी योजना “ज्योति योजना” के तहत अपनी शिक्षा पर खर्च की गई फीस और खर्च की वापसी के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ निर्देश मांगा है।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ:

4. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा 19.08.2011 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसके द्वारा ‘ज्योति योजना’ के नाम से एक लाभार्थी योजना शुरू की गई थी ताकि उन महिलाओं को लाभ दिया जा सके और उन्हें सशक्त बनाया जा सके जिन्होंने एक या दो लड़कियों को जन्म दिया और उसके बाद स्वेच्छा से नसबंदी करवा ली। वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने “ज्योति योजना” पर भरोसा करते हुए, उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक लड़की को जन्म देने के बाद नसबंदी करवाई और इस प्रकार, 19.08.2011 के परिपत्र के अनुसार वह स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा और एएनएम/जीएनएम (सहायक नर्सिंग और मिडवाइफरी/जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी) और बीएससी पाठ्यक्रम की आगे की शिक्षा का लाभ पाने की हकदार थी। ज्योति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के परिवारों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई और ऐसी महिलाओं को आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और जीएनएम आदि पदों पर नियुक्ति पाने में प्राथमिकता दी गई। वकील ने दलील दी कि बालिका के जन्म के बाद, याचिकाकर्ता ने माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और जीएमएन पाठ्यक्रम की पढ़ाई की, जिसमें उसने अपनी शिक्षा पर कई खर्च किए। वकील ने दलील दी कि उत्तरदाता, याचिकाकर्ता को उपरोक्त परिपत्र का लाभ प्रदान करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण वे ही सबसे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए, इन परिस्थितियों में, प्रतिवादियों को निर्देश दिया

जाए कि वे याचिकाकर्ता को 'ज्योति योजना' के अंतर्गत सभी स्वीकार्य लाभ प्रदान करें और माध्यमिक (दसवीं कक्षा) से जीएनएम पाठ्यक्रम तक की उसकी शिक्षा में हुई फीस और खर्च वापस करें।

5. इसके विपरीत, उत्तरदाता-राज्य के वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि उपरोक्त योजना को उत्तरदाता-राज्य द्वारा वर्ष 2016 में बंद कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को उसकी पुत्री के नाम पर यू.टी.आई. बांड जारी करके तदनुसार सूचित किया गया था। अतः, याचिकाकर्ता इस रिट याचिका में मांगी गई राहत पाने का हकदार नहीं है।

6. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

विवाद पर एक नजर:

7. राजस्थान सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 19.08.2011 को "ज्योति योजना" नाम से एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अंतर्गत उन महिलाओं को कुछ लाभ प्रदान किए जाएंगे जिनकी एक या दो बेटियाँ हैं और जिन्होंने नसबंदी ऑपरेशन करवाया है। नसबंदी ऑपरेशन करवाने के बाद, ऐसी महिलाएँ निम्नलिखित लाभ पाने की हकदार होंगी:-

- I. स्नातकोत्तर अध्ययन तक प्राथमिकता और निःशुल्क शिक्षा।
- II. आशा सहयोगिनी, एएनएम एवं जीएनएम की चयन प्रक्रिया में वरीयता।
- III. ए.एन.एम., जी.एन.एम. और बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रमों में वरीयता और निःशुल्क शिक्षा।
- IV. सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं।

8. "ज्योति योजना" के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- I. महिलाओं का उत्थान/सशक्तिकरण।
- II. छोटे इकाई परिवारों की सहायता करना।
- III. बालिकाओं के पालन-पोषण में समाधान देना।
- IV. लैंगिक समानता बनाए रखना।

9. याचिकाकर्ता, जिसकी एक बेटी है, ने 19.08.2011 के परिपत्र के प्रावधानों और राजस्थान सरकार द्वारा "ज्योति योजना" का लाभ दिलाने के वादे पर भरोसा करते हुए,

16.07.2012 को नसबंदी ऑपरेशन करवाया और 26.01.2013 को उसे "ज्योति कार्ड" जारी किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दसवीं कक्षा की पढ़ाई सामान्य शिक्षा (जीएनएम) में की। याचिकाकर्ता ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। याचिकाकर्ता ने छात्रवृत्ति और शिक्षा शुल्क व अन्य खर्चों के भुगतान के लिए अधिकारियों को कई आवेदन दिए। याचिकाकर्ता का मामला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू द्वारा निपटाया गया और दिनांक 05.06.2015 और 13.08.2015 के पत्रों द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को भेजा गया, लेकिन अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई करने और याचिकाकर्ता को सरकारी योजना "ज्योति योजना" का लाभ प्रदान करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। अतः, इन विवश परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने कक्षा-10 से जीएनएम पाठ्यक्रम तक की अपनी शिक्षा पर हुए शुल्क और व्यय की वापसी हेतु उपरोक्त प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

10. प्रतिवादियों ने जवाब दिया कि 2015-16 के बजट में "ज्योति योजना" के लाभ और योजना को बंद कर दिया गया था और "मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना" के तहत याचिकाकर्ता की बेटी के नाम पर यूटीआई बांड जारी किया गया था।

विश्लेषण, चर्चा और तर्क:

11. अब इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि "क्या याचिकाकर्ता ज्योति योजना के अनुसरण में जारी किए गए दिनांक 19.08.2011 के परिपत्र के अनुसार, कक्षा-X से जी.एन.एम पाठ्यक्रम तक की पढ़ाई के लिए याचिकाकर्ता द्वारा खर्च की गई और वहन की गई फीस और व्यय की राशि वापस पाने की हकदार है?"

12. राजस्थान सरकार द्वारा जारी 19.08.2011 के परिपत्र और शुरू की गई "ज्योति योजना" योजना के आधार पर, याचिकाकर्ता ने योजना का लाभ पाने के लिए नसबंदी करवाई है। इसलिए, याचिकाकर्ता को सरकार से अपने वादे पूरे करने की पूरी उम्मीद है।

13. वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि व्यक्तियों को यह उचित अपेक्षा होनी चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकारी आधिकारिक माध्यमों से की गई अपनी प्रतिबद्धताओं और वादों को पूरा करेंगे। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने एक बालिका को जन्म दिया और नसबंदी कराई, उसने "ज्योति योजना" में उल्लिखित सरकारी आश्वासनों पर भरोसा करके ऐसा किया। उक्त योजना ने एक वैध अपेक्षा पैदा की कि सरकार शिक्षा व्यय, चिकित्सा लागत और नर्सिंग रोल में रोजगार वरीयता प्रदान करने सहित अपने

दायित्वों को पूरा करेगी।

14. इसके अलावा, एस्टोपल का सिद्धांत किसी पक्ष को अपने वचन से मुकरने से रोकता है, जब दूसरे पक्ष ने अपने नुकसान के लिए उस वादे पर यथोचित रूप से भरोसा किया हो। नसबंदी करवाकर और ज्योति योजना के वादों के आधार पर जीवन के फैसले लेकर, महिला ने अपनी परिस्थितियों में बड़ा बदलाव किया। अब इन वादों से मुकरना न केवल अनुचित होगा, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों में नागरिकों के विश्वास और भरोसे को भी कमजोर करेगा।

15. इसलिए, "वैध अपेक्षा" का सिद्धांत और "विनियमन का सिद्धांत" दोनों ही "ज्योति योजना" के तहत सरकार के वादों को पूरा करने के पक्ष में प्रबल हैं। अन्यथा ऐसा करना न केवल कानूनी रूप से संदिग्ध होगा, बल्कि नैतिक रूप से भी अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि इससे सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपेक्षित समर्थन नहीं मिलेगा। इसलिए, सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करे और शासन में ईमानदारी और जवाबदेही बनाए रखने के लिए कार्यक्रम के तहत अपने दायित्वों को पूरा करे।

16. "वैध अपेक्षा" का सिद्धांत लोक विधि के क्षेत्राधिकार में आता है और इसका उद्देश्य लोगों को तब राहत प्रदान करना है जब वे कानून के आधार पर अपने दावों को उचित ठहराने में असमर्थ हों, हालाँकि उन्हें अपनी वैध अपेक्षा के उल्लंघन के कारण दीवानी परिणाम भुगतने पड़े हों। अपेक्षा, लोक प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से किसी स्पष्ट कथन या वचनबद्धता पर आधारित हो सकती है, जिसका निर्णय लेने का कर्तव्य है। जब कोई अपेक्षा, स्पष्ट वचन से उत्पन्न होती है, तो ऐसा आवेदक, न्यायालय या लोक प्राधिकरण से, प्राकृतिक न्याय के समान 'कार्यवाही में निष्पक्षता' के सिद्धांत का आह्वान करके, अपनी अपेक्षा की रक्षा करने की यथोचित अपेक्षा कर सकता है। वैध अपेक्षा को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक अंग माना जाता है। यह सिद्धांत तब लागू होगा, जब मौजूदा परिस्थितियों के कारण, किसी पक्ष को यह समझाया जाए कि दूसरा पक्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना लाभ नहीं छीनेगा।

17. जब कोई व्यक्ति अपने दावे को वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर आधारित करता है, तो उसे सबसे पहले यह संतुष्ट होना होगा कि उसने उक्त अभ्यावेदन पर भरोसा किया है और उस अपेक्षा का खंडन उसके लिए हानिकारक रहा है। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मनमाना, अनुचित या शक्ति के घोर दुरुपयोग या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला पाया जाए और जनहित में न लिया

गया हो।

18. वैध अपेक्षा का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में उभरा है और प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा के लिए न्यायालय द्वारा विभिन्न अवधारणाओं में नवीनतम भर्ती है। इस सिद्धांत का मूल "कानून का शासन" है, जिसके लिए आवश्यक है कि कानून के उल्लंघन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को पीड़ित नहीं किया जाएगा, अर्थात्, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 'कानून के समक्ष समानता' प्रदान करता है और 'कानून का समान संरक्षण' प्रशासनिक कार्रवाई में 'गैर-मनमानी के सिद्धांत' और निष्पक्षता पर जोर देता है और यही वैध अपेक्षा का सिद्धांत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य के मामले में (2008) 10 एस.सी.सी 1 में रिपोर्ट की है कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के नियम में हाल ही में जोड़ा गया है। यह न्याय प्रदान करने के एक अन्य साधन के रूप में कार्य करके वैधानिक अधिकार से आगे निकल जाता है। वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आह्वान करके कोई नया अधिकार नहीं बनाया जा सकता।

19. हालाँकि, वैध अपेक्षा कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह किसी वादे से प्राप्त होने वाले लाभ, राहत/उपचार की अपेक्षा है। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन बनाम एस. रघुनाथन एवं अन्य (1998) 7 एससीसी 66 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 18 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

“18. "वैध अपेक्षा" के सिद्धांत की उत्पत्ति प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में हुई है। देश के प्रशासन में सरकार और उसके विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नीति या आशय के कथनों का सम्मान करें और नागरिकों के साथ बिना किसी विवेकाधिकार के रती भर भी व्यक्तिगत सम्मान के साथ व्यवहार करें। नीति कथनों की अनुचित रूप से अवहेलना नहीं की जा सकती या उन्हें चुनिंदा रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अनुचितता के रूप में अन्याय प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। इसी संदर्भ में "वैध अपेक्षा" के सिद्धांत का विकास हुआ, जो आज मूल और प्रक्रियात्मक अधिकारों का स्रोत बन गया है। लेकिन "वैध अपेक्षा" पर आधारित दावों के लिए अभ्यावेदन पर निर्भरता आवश्यक मानी गई है और इसके परिणामस्वरूप दावेदार को उसी तरह नुकसान होता है जैसे वचनबद्ध विबंधन पर आधारित दावों से होता है।”

20. "वैध अपेक्षा" शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में पहली बार लॉर्ड डेनिंग ने शिमट बनाम गृह राज्य सचिव मामले में किया था, जिसकी रिपोर्ट 1969 (2) डब्ल्यू.एल.आर. 337 में दी गई थी। इस मामले में सरकार ने एक विदेशी को इंग्लैंड में प्रवेश करने और रहने के लिए

पहले से ही दी गई अवधि को कम कर दिया था। न्यायालय ने माना कि उस व्यक्ति की इंग्लैंड में रहने की वैध अपेक्षा थी, जिसका उल्लंघन उचित और तर्कसंगत प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने "वैध अपेक्षा" शब्द का प्रयोग "अधिकार" शब्द के वैकल्पिक अभिव्यक्ति के रूप में किया।

21. कई अवसरों पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि "वैध अपेक्षा" का सिद्धांत प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए विकसित किया गया है। निजी विधि में, कोई व्यक्ति किसी कानून पर आधारित अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन सार्वजनिक विधि में, प्रशासनिक प्राधिकारी को उस अपेक्षा के आधार पर जवाबदेह बनाया जा सकता है जो वैध तो है, लेकिन उक्त प्राधिकारी द्वारा पूरी नहीं की गई है।

22. यहाँ, वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों ने 19.08.2011 को एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें उन महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा के विभिन्न लाभ प्रदान करने और आशा सहयोगिनी, एएनएम और जीएनएम पाठ्यक्रमों के चयन में वरीयता देने का प्रावधान था, जिनकी एक या दो बेटियाँ हैं और जिन्होंने नसबंदी और ऑपरेशन भी करवाया है। "ज्योति योजना" नामक योजना जारी करके, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता जैसे विभिन्न व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिलाने का वादा किया और उत्तरदाता-राज्य के ऐसे वादों पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नसबंदी ऑपरेशन करवाया। तदनुसार, याचिकाकर्ता को एक "ज्योति कार्ड" भी जारी किया गया था, लेकिन उत्तरदाता-राज्य ने वर्ष 2016 में योजना को बंद कर दिया और तदनुसार, अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा और इस योजना के लाभों को रोककर याचिकाकर्ता और इसी तरह के विभिन्न व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान करने से इनकार कर दिया और इस तरह, यह देखना सुरक्षित होगा कि उत्तरदाता-राज्य द्वारा योजना का लाभ प्रदान नहीं करने का निर्णय सार्वजनिक हित के खिलाफ है।

निष्कर्ष एवं निर्देश:

23. याचिकाकर्ता और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों को "ज्योति योजना" का लाभ न देने का प्रतिवादियों का कार्य पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है और यह सत्ता का घोर दुरुपयोग और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है और कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं है। प्रतिवादियों का ऐसा कार्य वादाखिलाफी और "वैध अपेक्षा" के सिद्धांत और "वचन-विराम" के सिद्धांत का उल्लंघन है।

24. उपर्युक्त चर्चाओं और उसके परिणामस्वरूप, इस रिट याचिका को प्रतिवादियों को निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को "ज्योति योजना" का लाभ प्रदान करें और उसकी माध्यमिक (कक्षा दस) से जीएनएम पाठ्यक्रम तक की शिक्षा में हुए शैक्षिक शुल्क और अन्य खर्चों को रिट याचिका दायर करने की तिथि से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करें।

25. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटा दिए गए हैं। कोई खर्च नहीं।

सामान्य आदेश एवं अतिरिक्त निर्देश:

26. आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिवादियों और राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव को एक सामान्य आदेश जारी किया जाता है कि वे सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित करें, जो वांछित व्यक्तियों के लंबित दावों और आवेदनों की जांच के पश्चात्, "ज्योति योजना" योजना और परिपत्र दिनांक 19.08.2011 के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसरण में, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी एक या दो बेटियां हैं और जिसने नसबंदी ऑपरेशन करवाया है, "ज्योति योजना" का लाभ प्रदान करें।

27. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादियों द्वारा इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

28. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति प्रतिवादियों के साथ-साथ मुख्य सचिव को भी मामले में अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

(अनूप कुमार ढांड),जे

सोलंकी डी.एस., पी.एस.

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate

